Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ श्री गंगानगर में अकुंश कुमार राजस्व पटवारी पटवार हल्का 68 एलएनपी रिडमलसर जिला श्रीगंगानगर 50,000/– रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 02 जून, 2026। को ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी स्पेशल युनिट बीकानेर इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये **अकुंश कुमार राजस्व पटवारी पटवार हल्का 68 एलएनपी रिडमलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर** को परिवादी के चक 68 एल.एन.पी. रिड़मलसर, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर में स्थित मुरब्बा नंबर 35 तथा खाता संख्या 135 सयुंक्त खाते को खाता विभाजन करने के एवज में एक लाख रूपये की रिश्वत की मांग की गई एवं दौराने ट्रेप कार्यवाही प्रथम किश्त के रूप में 50,000/– रूपये प्राप्त किये। जिस पर पटवारी अंकुश कुमार को मौके पर रंगे हाथों पकडा जाकर रिश्वती राशि **50,000/– रूपये (जिसमें 10,000/– रूपये भारतीय मुद्रा व 40 हजार रूपये डमी नोट)** जो आरोपी अंकुश कुमार से बरामद किये गये।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी स्पेशल युनिट बीकानेर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी की चक 68 एल.एन.पी. रिड़मलसर, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर में स्थित मुरब्बा नंबर 35 तथा खाता संख्या 135 के सयुंक्त खाता को खाता विभाजन व शुद्धिकरण करने के एवज में आरोपी में **एक लाख रूपये** रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी बीकानेर के **उप महानिरीक्षक श्री नारायण टोगस** के सुपरविजन में ए.सी.बी. स्पेशल युनिट बीकानेर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आशीष कुमार** के निर्देशन में **पुलिस निरीक्षक श्री इन्द्र कुमार** मय टीम के द्वारा मांग का सत्यापन करवाया जाकर आज ट्रेप का आयोजन कर आरोपी को 50,000/– रूपये रिश्वत राशि लेते हुऐ रंगे हाथो गिरफ्तार कर रिश्वत राशि बरामद की गई। मौके पर कार्यवाही जारी हैं।

एसीबी की **महानिरिक्षक पुलिस श्रीमती एस. परिमला** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।